

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
मैनुअल नं. 24/प्रा.पत्र/2024
(GCMS No. 2024/30)

तारीख दायरा
30.01.2024

तारीख निर्णय
19.05.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, के.पाटन (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

रामस्वरूप आ. भवरलाल जाति मेहतर,
निवासी ग्राम जगन्नाथपुरा, तहसील के.पाटन
हाल तहसील रायथल, जिला बून्दी (राज.)

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को किये गये भूमि आवंटन खसरा सं.
368 कुल रकबा 0.57 हैक्टेयर वाकेग्राम जगन्नाथपुरा आवंटन आदेश दिनांक
31.08.2006 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि
आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

वादग्रस्त आराजी अब तहसील रायथल के अन्तर्गत आती है। इसलिए
अति.जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र
हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर पंजिका क्रमांक 24/2024 पर दर्ज रजिस्टर
किया जाकर GCMS No.2024/30 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया।
तहसीलदार रायथल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 866 दिनांक 15.04.2024 के
अनुसार अप्रार्थी के अन्यत्र पलायन कर जाने से उसके बारे में कोई सूचना
ज्ञात नहीं है। ऐसे में प्रकरण में तामील कराया जाना संभव नहीं होने से
एकपक्षीय सुनवाई की गई।



जिला कलक्टर, बून्दी

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि रामस्वरूप आ. भंवरलाल जाति मेहतर निवासी जगन्नाथपुरा को दिनांक 31.08.2006 को भूमि खसरा सं. 368 रकबा 0.57 हैक्टेयर वाकेग्राम जगन्नाथपुरा का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम जगन्नाथपुरा की नकल जमाबंदी संवत 2075-2078 के अनुसार भूमि खसरा सं. 368 रकबा 0.57 हैक्टेयर पर अप्रार्थी गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं आईएलआर दिनांक 12.10.2020 अनुसार भूमि खसरा सं. 368 रकबा 0.57 हैक्टेयर पर अप्रार्थी का कब्जा काशत नहीं है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2076 के अनुसार उक्त भूमि पड़त पड़ी हुई है।

यहां उल्लेखनीय है कि आवंटी के वर्तमान निवास के बारे में तहसीलदार रायथल से सूचना चाही गई। तहसीलदार रायथल से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 15.4.2025 के संलग्न आई.एल.आर. एवं हल्का पटवारी, गोठडा की मजमेआम रूबरू गवाहन तैयार की गई रिपोर्ट से प्रकट होता है कि आवंटी या उसके वारिसान उक्त ग्राम में निवास नहीं कर अन्यत्र पलायन कर चले गये है जिनके वर्तमान निवास की ग्रामवासियों को कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में आवंटी को नोटिस तामील करवाया जाना संभव नहीं होने से प्रकरण में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैर खातेदार के विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई की गई। आवंटी एवं उनके वारिसान के ग्राम जगन्नाथपुरा में निवास नहीं करने तथा उसके बारे में ग्रामवासियों को कोई जानकारी नहीं होने से भी यह प्रमाणित होता है कि आवंटित भूमि पर आवंटी तथा उसके वारिसान का कब्जा काशत नहीं है। जबकि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काशत करना आवश्यक है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2076 के अनुसार भी उक्त भूमि पड़त पड़ी हुई है। प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं होने से आवंटन की शर्तों का उल्लंघन होना प्रमाणित है।



जिला न्यायाधीश, बुंदी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं होने से एवं आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी रामस्वरूप आ. भंवरलाल जाति मेहतर निवासी जगन्नाथपुरा को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 368 रकबा 0.57 हैक्टेयर वाकेग्राम जगन्नाथपुरा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रायथल को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 19.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर, बून्दी
जिला कलेक्टर बून्दी